न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010045642026

Bail Application/1315/2026
Vinay Kumar Jain Vs. State of U.P.
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1315/2026

1. विनय कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन, निवासी–मकान संख्या–289, विवेक विहार, आवास विकास, हरिद्वार, उत्तराखण्ड
2. राकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन, निवासी–77. न्यू हरिद्वार कालोनी, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

परिवाद सं०–3706/2021
अ0 धारा–27(b)(i), 27(d) औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940
थाना– हापुड नगर, जिला हापुड

30.06.2026

अभियुक्तगण विनय कुमार जैन व राकेश कुमार जैन की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में अर्न्तगत धारा 438 द0प्र0स0/ 482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष है तथा परिवादी द्वारा गलत व असत्य तथ्यों के आधार पर परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष गलत रुप से पंजीकृत कराया है। परिवादी / अभियोजन के कथनानुसार परिवादी द्वारा एक परिवाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट महोदय, हापुड के समक्ष प्रार्थी के विरुद्ध अर्न्तगत धारा 27(b)(i), 27(d) औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अर्न्तगत दि0 22.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है। परिवादी/ अभियोजन द्वारा दाखिल परिवाद में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा अपने आदेश दि0 27.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण को 27(b)(i), 27(d) औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अर्न्तगत तलब किया जाकर सम्मन जारी कर दिये गये थे। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वांरट जारी हो चुके है। उक्त पत्रावली में दिनांक 03.07.2026 नियत है। प्रार्थी एक सम्मानित परिवार का सदस्य है तथा उसके द्वारा कोई भी अपराध किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी को उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का उक्त केस से कोई वास्ता ताल्लूक किसी प्रकार

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.01 12:30:02 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

का नहीं है। उक्त परिवाद में प्रार्थीगण को अभियुक्तगण के रुप में इस आधार पर नामित किया गया है कि प्रार्थीगण मैसर्स पोददार फार्मास्यूटिकल्स प्रा० लि० में मैनेजिगं डायरेक्टर व डायरेक्टर है। मात्र मैनेजिगं डायरेक्टर व डायरेक्टर होने के आधार पर परिवाद उपरोक्त में अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है। परिवादी द्वारा परिवाद उपरोक्त में प्रार्थीगण की कोई विशिष्ठ भूमिका दर्शित नही की गयी है। परिवादी द्वारा जिस बैच नम्बर व निर्माण वर्ष में निर्मित औषधि की बावत परिवाद दायर किया है उक्त औषधि पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त औषधि को 20 डिग्री तापमान से कम एंव ठण्डी, सुखे व अंधेरे स्थान पर ही रखा जाना अंकित है। अगर उक्त औषधि का भंडारण उक्त मानकों के अनुसार नहीं किया जाता है तो निश्चित रुप से उक्त औषधि के खराब होने की प्रवल सम्भावना है। परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद में उक्त औषधि के भंडारण से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेजीय साक्ष्य एंव अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी दशा में प्रतीत होता है कि उक्त औषधि का भंडारण औषधि पर अंकित मानक के अनुसार नहीं किया गया है। जिस कारण औषधि खराव हुई है। परिवादी द्वारा परिवाद दाखिल करने से पूर्व प्रार्थीगण की कम्पनी पर स्थलीय जांच की गई है जिसमें परिवादी द्वारा दवाई के निर्माण की बावत सब कुछ सही रुप से पाया गया है। जिसकी आख्या परिवाद उपरोक्त पर दाखिल है। प्रार्थीगण के विरुद्ध गलत तथ्यो पर आधारित कर परिवाद पत्र पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित पते के स्थायी निवासी है और उसके द्वारा माननीय न्यायालय के न्यायक्षेत्र से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध सर्जित नहीं होता है। प्रार्थीगण अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण की अग्रिम जमानत स्वीकार होने पर प्रार्थी के भागने व गवाहन को तोडने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित शर्तों का पालन करने के लिए कटिबद्ध है। प्रार्थीगण अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर अदालत रहेगा। उक्त आधारों पर प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्तगण का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अनुसार अग्रिम जमानत में न्यायालय निम्नलिखित बातें पर विचार करेगी–

(1) अभियेाग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत

चुका है ।

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता और

(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

परिवादी का कथन है कि दिनांक 16–10–2018 को मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ के कार्यालय से टैबलेट मीसोप्रोस्टोल आई०पी० 200 mcg का नमूना नम्बर NZ/SMP/PK/A–28/2018–19 Batch No- TD-13, D/M-07/2018, D/E,12/2019 जो कि मैसर्स पोददार फार्मास्यूटीकल प्रा०लि० E – 35 इन्डस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार उत्तराखण्ड के द्वारा निर्मित किया गया है, परीक्षण एवं विश्लेषण लिये लिया गया था जिसे शासकीय विश्लेषक, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सेक्टर 39 सी चण्डीगढ द्वारा परीक्षण व विश्लेषण किये जाने के पश्चात पाया गया कि उक्त नमूना मानक के अनुरूप नही है। उक्त उत्पाद विपक्षीगण के द्वारा निर्मित व विक्रय हेतु वितरित किया जाता है जिससे विपक्षी संख्या 1 ता 4 के द्वारा धारा 18(a)(i) सपठित धारा 16 और 17A (f) ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत एक आपराधिक कृत्य है जो कि धारा 27(b)(i), 27(d) ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। ''

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020) 5 एस0एस0सी0 (1) (संवैधानिक पीठ) में यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत एक आपवादिक अधिकार है, जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए और यह कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।

अग्रिम जमानत देने के सम्बन्ध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण /अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद सं०–3706/2021,अ0 धारा–27(b)(i), 27(d) औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 ,थाना– हापुड नगर, जिला हापुड पंजीकृत है । प्रार्थीगण /अभियुक्तगण के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर **अपमिश्रित औषधि र्निमित कर विक्रय करने का गंभीर आरोप है ।** जिनकी बाबत लिए गए नमूने जांच में मानक अनुसार नहीं पाए गए है । अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र केवल उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, जहां आवेदक/अभियुक्त को या तो झूठा फंसाया गया हो या आवेदक/ अभियुक्त को अपमानित या आहत करने के उद्देश्य से

आरोप लगाया गया हो, जो न्याय के उद्देश्यों को अग्रसारित करने वाले न हों। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्तगण को मात्र क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के लिए झूठा नामित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई उत्पीडनात्मक कार्यवाही हेतु आदेश पारित नहीं किए गए है । आवेदक/अभियुक्तगण को इस स्तर पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्तगण का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का सामाजिक अपराध है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण विनय कुमार जैन व राकेश कुमार जैन का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र परिवाद सं०–3706/2021,अ0 धारा–27(b)(i), 27(d) औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 ,थाना– हापुड नगर, जिला हापुड के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।